# राजस्थान सरकार
# आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 4 (1) आ.प्र. एवं स.आ./पेयजल/09/12206-12225 जयपुर,दिनांकः 6.09.2009

जिला कलेक्टर,
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर,
राजस्थान।

विषय :– अभाव संवत 2066 में अकाल प्रभावित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल उपलब्ध कराने बाबत् दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 26.8.2009 में लिए गये निर्णयानुसार राज्य के अभावग्रस्त जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को विभाग की अभाव अधिसूचना दिनांक 26.8.09 से आपातकालीन पेयजल परिवहन आपदा राहत निधि से कराने की व्यवस्था के लिए जिला कलक्टर को अधिकृत किया जाता है। इस हेतु निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए:–

1. जिले के आबादी क्षेत्रों में, जहॉं नजदीक में पेयजल का स्त्रोत उपलब्ध नहीं है या पेयजल का स्त्रोत बाढ़/अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपयोगी नहीं रह गया है एवं पेयजल की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है, वहां सर्वप्रथम यह प्रयास किये जायें कि ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध स्वयं सेवी संस्था/दान दाताओं के सहयोग से पेयजल परिवहन व्यवस्था कराई जाकर, पेयजल की आपूर्ति की जाए।

2 स्वयं सेवी संस्थाओं/दान दाताओं के सहयोग की सम्भावना यदि कम/नगण्य हो तो निम्नानुसार व्यवस्था की जाये

2.1 ऐसे गांव जहॉं अनावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण पेयजल स्त्रोत उपयोगी नहीं रह गये हैं तथा 1.6 किमी की परिधि में कोई भी पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं रह गया है, वहॉं संकट की अवधि में पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जाए।

2.2 ऐसे गांव, जहॉं पेयजल योजनाएं विद्यमान हैं परन्तु प्राकृतिक आपदा के कारण पेयजल के अभाव की स्थिति पैदा हो गई है वहॉं भी पेयजल के परिवहन की व्यवस्था अभाव अवधि में की जाए।

3 यदि पेयजल व्यवस्था हेतु टैंकर्स/ट्रेक्टर ट्रोली/ऊँट गाडी/बैल गाडी आदि किराये पर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो इस हेतु निम्न समिति से सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की व्यवस्था के अनुसार दरों का निर्धारण कराया जाए

| | | |
|---|---|---|
| अ. | जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि जो अति. जिला कलेक्टर स्तर से कम के न हो | अध्यक्ष |
| ब. | अधिक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि.विभाग का प्रतिनिधि जो अधिशासी अभियन्ता से कम का न हो। | सदस्य |
| स. | कोषाधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि | |

लेखाधिकारी या स0 लेखाधिकारी कलेक्टर कार्यालय — सदस्य

4 जिन समस्याग्रस्त गाँवों में पेयजल परिवहन हेतु किराये के टैंकर/ बैलगाडी की व्यवस्था की जानी है, वहाँ यह सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति एवं साधन यथा सम्भव स्थानीय हो।

5 ऐसे जिले, जहाँ पेयजल व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा टैंकर्स उपलब्ध कराये हुये है, जिला कलेक्टर द्वारा, ऐसे टैंकर्स हेतु अधिशेष घोषित वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चालक एवं खलासी के पदों पर लगाया जाकर कार्य सम्पादित करवाया जाए। यदि उक्त श्रेणी के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो भूतपूर्व सर्विसमेन अथवा सेवा निवृत वाहन चालक एवं खलासियों को क्रमशः रूपये 2000 व 1000 प्रति माह पर इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक 10–23 दिनांक 1.1.2001 अनुसार रख लिये जाए।

6 उपरोक्त सम्बन्ध में पेयजल परिवहन सम्बन्धी सभी स्वीकृतियाँ एवं आदेश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किये जाए। सभी समस्याग्रस्त ग्रामों/ढाणियों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संभावित समस्याग्रस्त गांवों के टेण्डर कर, उन्हें सील्ड कवर में जिला कलक्टर के पास रखा जाए, ताकि जब भी उस गांव में वास्तविक रूप से पेयजल की समस्या हो, उस स्थिति में टेण्डर खोलकर निम्नतम दर वाली पार्टी को पेयजल टैंकरों का आदेश दिया जा सके।

7 टैंकरों की दरों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए, तहसीलवाईज पूर्व के पांच सालों में कम से कम दर को या जिला प्रशासन उससे कम दर को आरक्षित कर, रजिस्टर्ड ठेकेदारों तथा अपंजिबद्ध ठेकेदार या पार्टियों को सामुहिक रूप से बोली लगाने का मौका देवें तथा उस दर से कम दर वाले को या उसी दर पर अन्य लोगों को ठेका आवश्यकतानुसार दिया जाए।

8 पेयजल का वितरण सही हो, इसके लिए जहां से पानी रवाना हो, वहां अस्थाई चैक पोस्ट या उस स्त्रोत से टैंकर मालिक को तीन कूपन जारी किये जाए, जिसमें पानी की मात्रा, टैंकर रवाना होने का समय, दिनांक तथा टैंकर ले जाने वाले का नाम एवं टैंकर नम्बर दर्ज किया जाए, उसकी एक कार्यालय प्रति होगी तथा दो प्रति टैंकर चलाने वाले को दी जाए। टैंकर चालक जिस गांव में जाए, उस गांव के दो आदमियों के तथा एक महिला के हस्ताक्षर करायें। इस पैनल के व्यक्तियों के नाम ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाए। इस रसीद शुदा कूपन को टैंकर मालिक द्वारा टैंकरों के बिल के साथ प्रस्तुत की जाए तथा उस कूपन की ऑफिस की प्रति से मिलान कर भुगतान किया जाए।

9 पेयजल विभाग की स्कीमों के टैंकरों का भुगतान भी राहत मद से कलक्टर द्वारा अनुमत किया जा सकता है। जलदाय विभाग की स्कीम में यदि अचानक पेयजल हेतु टैंकरों की व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जलदाय विभाग के अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर को सूचित कर तदानुसार ही पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करावें। उन गांवों की पेयजल की व्यवस्था की जिम्मेदारी जलदाय विभाग के अधिकारियों की रखी जाए, परन्तु इसका भुगतान जिला कलक्टर के माध्यम से राहत मद अन्तर्गत अनुमत कर दिया जाए।

10 जो गांव जलदाय विभाग से जुडे नहीं है और गांवों में पानी की समस्या है तो उन गांवों की व्यवस्था भी जिला कलक्टर द्वारा की जाए।

1 पेयजल स्त्रोत के रूप में यदि जिला कलक्टरों को किसी निजी कुए या ट्यूबवैल की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसके लिए किराये का निर्धारण कर अधिग्रहण कर लिया जाए।

12 निर्धारित दरों पर कोई टेण्डरकर्ता पेयजल परिवहन नहीं कराता है तथा जिला कलक्टर को अचानक आवश्यकता पडती है तो अनुच्छेद 9.4 में गठित कमेटी से नई दरें तय करवा ली जाए। ऐसे टेण्डर दाता की जमानत राशि जब्त कर ली जाए एवं उसे हमेशा के लिए ब्लेक लिस्ट किया जाए।

13 पेयजल उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से जिला कलक्टर के स्तर पर की जाए,जिसमें पी.एच.ई.डी तथा आर.एस.ई.बी. तथा राजस्व विभाग एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समीक्षा बैठक में शामिल किया जाए।

14 जिला कलेक्टर द्वारा पेयजल के अभाव की स्थिति का निरन्तर आंकलन एवं पेयजल व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाकर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रति सप्ताह अवगत कराया जाए।

जिला कलक्टर उपखण्ड स्तर पर पेयजल आपूर्ति की समीक्षा हेतु उप खण्डाधिकारी की अध्यक्षता में पेयजल समीक्षा समिति के गठन हेतु आदेश जारी करेंगे। जिसका गठन निम्नानुसार किया जाएगा:—

| | |
|---|---|
| उपखण्ड अधिकारी | अध्यक्ष |
| सहायक अभियन्ता, जल संसाधन | सदस्य सचिव |
| विकास अधिकारी | सदस्य |
| तहसीलदार | सदस्य |

अभावग्रस्त ग्राम के संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता, ग्राम प्रभारी/पटवारी, ग्राम सेवक पदेन सचिव के प्रमाणीकरण के पश्चात् ही बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 9 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पेयजल परिवहन का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

6/3/09

शासन सचिव

प्रतिलिपि :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन.स्वा.अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव

# पेयजल वितरण प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि टेंकर रजिस्ट्रेशन नंबर ............. चालक श्री ............ ............................... दिनांक ............ से दिनांक ............ तक ग्राम ............................... पंचायत .............................तहसील .................. जिला .................... में ............... कुल फेरे लगाकर .................... किलो लीटर पेयजल वितरण किया गया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| हस्ताक्षर<br>ग्राम सहायक<br>एवं पदेन सचिव | हस्ताक्षर<br>पटवारी | हस्ताक्षर<br>सरपंच | हस्ताक्षर<br>कनिष्ठ अभियन्ता<br>जल संसाधन |